




आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर <p style="text-align: center;">शास्त्र वाड 102/14</p>	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा</p> <p style="text-align: center;">ज्योति भूषण सिंह, पिता-जवाहर प्रसाद सिंह, सा0-मीना बाजार, थाना-सोनपुर, जिला-सारण</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.14 में आंशिक संशोधन करते हुए कहना है कि आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2-ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापंक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक ज्योति भूषण सिंह, पिता-जवाहर प्रसाद सिंह, सा0-मीना बाजार, थाना-सोनपुर, जिला-सारण को सम्पूर्ण विहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। उनके पिता के द्वारा धारित एन.पी.योर रिवॉल्वर सं0 ए-6185, अनुज्ञप्ति सं0 5792 जिला-मालदा, राज्य- पश्चिम बंगाल के द्वारा निर्गत को रद्द करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ इस आदेश की प्रति प्रेषित करने हेतु जिला शस्त्र दंडाधिकारी, सारण सचिका उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">प्रासंगिक आदेश को उक्त हद तक संशोधित समझा जाए।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। </div> <div style="text-align: center;">  जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। </div> </div>	

सापंक 1066 दिनांक 22.12.15

प्रतिलिपि - S.P. साण / जिला शास्त्र उपा, साण / DDO, INOC,
 साण 2 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ के लिए।


 जिला विधि शाखा
 साण, छपरा।